सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-32 अंक-1 7 जनवरी, 2017 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती कुल पृष्ठ 8 मूल्य : 2 रुपये

अमानवीय तीन तलाक प्रथा

शोषित मुस्लिम महिलाओं को इससे कैसे मिलेगी निजात

भारत की सामाजिक वास्तविकता से वाकिफ हर कोई जानता है कि मुस्लिम परिवारों की महिलाओं, खासकर अत्यंत गरीब और दबे-कुचले परिवारों की मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक के मारे जा रहे थप्पड़ की सामाजिक प्रताड़ना कितनी हृदय विदारक, कष्टदायक और दुर्गतिपूर्ण है। अपने पतियों द्वारा ज्यादातर लचर बहाने से और एकतरफा व मनमाने फैसले के आधार पर त्याग दी गई अभावग्रस्त लाचार अभागी महिलाओं को छोटे-छोटे बच्चों के साथ भटकने और अपनी देखभाल खुद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस निर्मम शोषणकारी पूँजीवादी व्यवस्था में पितृसत्तात्मक समाज की निष्ठुरता और अमानवीयता उनके चेहरे पर उसी तरह एकदम स्पष्ट झलकती है जिस तरह नारी जाति से द्वेष करने वाले बेरहम हृदयहीन हिन्दू पंडे-पुजारियों व मुखियाओं के चेहरे पर सतीदाह के मामले में दिखाई देती थी। तीन तलाक की इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने की मांग हाल ही में मुस्लिम समाज, विशेषकर महिलाओं के बीच से उठी। पिछले वर्ष अप्रैल में उत्तराखण्ड की 35 वर्षीय सायराबानो अखबार की सुर्खियों में छा गई, जब वह अपने पति द्वारा एक पत्र के जरिये दिए गए तीन तलाक पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। उसने बहुपत्नी प्रथा और निकाहनामे की प्रथा को भी चुनौती दी। (इस प्रथा के अनुसार एक महिला जिसे तीन तलाक दे दिया गया हो यदि वह अपने तलाकशुदा पति के साथ दोबारा रहना चाहती हो तो वह पहले किसी और से शादी करके उस शादी को तोड़ दे।) टाइम्स ऑफ इण्डिया के अनुसार 50,000 मुस्लिम नर-नारियों ने तीन तलाक प्रथा के खिलाफ याचिका पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। इस याचिका की शुरूआत भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन के द्वारा की गई। एक ''गैर कुरानीय प्रथा'' मान कर इसे खत्म करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप का सहारा लेना चाहा था। पहले भी 1986 में इस प्रकार की ही मांग उठायी गई थी जब 62 वर्षीय शाहबानों ने भी इन्साफ पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जब उसके पति ने तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कह कर उसे तलाक दे दिया था। लेकिन जहां दबी-कुचली मुस्लिम महिलाओं की उभरती हुई इस मांग को, पितृसत्तात्मक प्रभुत्व और धार्मिक कट्टरता की बेड़ियों से मुस्लिम महिलाओं को मुक्त करवाने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए था और सही उपचारात्मक रास्ते को ढूंढ़ना चाहिए था, इसकी बजाय इस मुद्दे पर प्रतिक्रियावादी और निहितस्वार्थी तत्वों द्वारा कट्टरवाद-कठमुल्लावाद -साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए घृणित षड़यंत्र रचा जा रहा है। धर्मांधता और अटलता के हथियार के द्वारा तर्कसंगतता को खत्म किया जा रहा है। मुद्दे की खूबियों से ध्यान हटाया जा रहा है। सोचने की स्वस्थ प्रक्रिया को कुंद किया जा रहा है। इसलिए मेहनतकश जनता के हर तबके के जनतांत्रिक सोच रखने वाले लोगों से जो मानवतावादी विचारों का सम्मान करते हैं और शोषित-उत्पीड़ित महिला समाज के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखते हैं, उनसे हमारी पुरजोर अपील है कि वे तीन तलाक की क्रूर प्रथा की जांच-पड़ताल साम्प्रदायिक और पक्षपातपूर्ण विचारों से ऊपर उठकर तार्किकता और न्यायोचितता के मापदण्ड के आधार पर करें।

मुद्दे को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का कट्टरपंथी-साम्प्रदायिक षड़यंत्र

तीन तलाक की मारी महिलाओं को ऐसी विकट स्थिति से निजात दिलाने की इस बढ़ती मांग का विरोध करने की बेशर्मी केवल वही लोग दिखा सकते हैं जो बुनियादी मानवीय संवेदना से विहीन हैं। लेकिन एक सबसे अधिक परेशानी की बात है। वह यह कि उनके अंदर आयी वान्छित जागरूकता और तीन तलाक की इस प्रथा के विरोध के स्वर को स्पष्टता के साथ व्यक्त करने के प्रशंसनीय साहस के परिणाम स्वरूप, इस अफसोसनाक प्रथा के खिलाफ शोषित- उत्पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की तरफ से जैसे ही न्याय-परायणता के साथ आवाज उठायी गई, वैसे ही समस्त मुस्लिम समाज के लिए पवित्र कुरान की अपनी स्वयंभू व्याख्या के आधार पर ''अच्छा क्या है, बुरा क्या है'', ''क्या करना है, क्या नहीं करना है'' तय करने का अधिकार सिर्फ उनके पास ही होने का बेजा दावा करने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी समूहों और मुल्ला- मौलवियों आदि धार्मिक नेताओं की भ्रकुटियां तन गईं। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दावा कर रहा है कि ''मुस्लिम पर्सनल लॉ दैवी कानून पर आधारित है, इसलिए उसको बदला नहीं जा सकता।'' दूसरी तरफ जब तीन तलाक जैसी महिला-विरोधी प्रथा को खत्म करने की मांग उठने लगी तब हिन्दुत्व की पवित्रता को कायम रखने के नाम पर 'ऑनर किलिंग' द्वि-विवाह, बहु-विवाह, यहां तक कि बहुत समय पहले से प्रतिबंधित सती प्रथा जैसी महिला-विरोधी प्रथाओं व रीति-रिवाजों को बढ़ावा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

नोटबंदी का देश भर में विरोध

रांची (झारखंड) : 19 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लगाये गए नोटबंदी के खिलाफ एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के आह्वान पर रांची के फिरायलाल चौक पर एक विरोध मार्च निकाला और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। पुतले को आग एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव कॉ. रबीन समाजपति ने लगाई। वहां हुई सभा को सम्बोधित करते हुए पार्टी के रांची जिला सचिव कॉ. सिद्धेश्वर सिंह ने कहा कि अचानक नोटबंदी करने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और नोटबंदी के पहले 2 दिनों में देश का 52 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में एक आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लाखों लोग घंटों बैंकों व एटीएम के सामने कतार लगाये खड़े हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ही पैसा मिल रहा है जिससे मरीजों का इलाज बंद है। खाने-पीने के सामान खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं। इसी बीच बहुत सारे लोगों ने बैंकों व एटीएम में लाइन में लगे हुए दम तोड़ दिया है। लेकिन इससे क्या कालाधन बाहर निकला? काला धन रखने वालों के नाम तक उजागर नहीं किये जा रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का जो पैसा बैंकों में जमा है उसी को काला धन बताया जा रहा है। नोटबंदी से पूंजीपति वर्ग खुश है और आम जनता परेशान है। अभी मजबूरन डेबिट/क्रेडिट कार्ड के जरिये क्रय-विक्रय करने पर बल दिया जा रहा है। इससे बैंक मालामाल हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदीजी ने दावा किया था

कि नोटबंदी से आतंकवाद पर लगाम लगेगी वह भी झूठा प्रचार निकला। आतंकवादी लाखों लाख रुपये बैंक में बचत खातों में नहीं रखते। कुछ समय बाद ही पता चल जायेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं लगेगा बल्कि यह और भी बढ़ेगा। पार्टी ने मांग की कि नोटबंदी का फैसला फौरन वापस लिया जाए और जनता के जीवन और आजीविका से खिलवाड़ बंद करें। कार्यक्रम में राज्य कमेटी सदस्य कॉ. रामलाल महतो, कॉ. सिद्धेश्वर सिंह, कॉ. केया डे, कॉ. एसएन मंडल, कॉ. सीताराम टुडू सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

पटना (बिहार) : जनविरोधी नोटबंदी का फैसला अविलम्ब वापस लेने तथा मृतकों को उचित मुआवजा देने की मांग पर 28 नवम्बर को एसयूसीआई (सी) द्वारा आहूत अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस के मौके पर

(शेष पृष्ठ 3 पर)

पीएफ ब्याज दर घटाने की एसयूसीआई (सी) ने की कड़ी निन्दा

फैसला वापस लेने की उठाई मांग

एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 20 दिसम्बर 2016 को जारी एक बयान में कहा :

बैंक जमाखातों की ब्याज दर बार-बार घटाने और नोटबन्दी करने के बाद अब केन्द्र सरकार ने भविष्य निधि की ब्याज दर 0.15 प्रतिशत कम दी है। केन्द्र सरकार के इस घोर काले कारनामे की एसयूसीआई (सी) कड़ी निन्दा करती है। कहने की कोई खास जरूरत नहीं है कि ब्याज दरों में कमी करने की यह कार्रवाई महज एक शुरूआत है। एकाधिकारी घरानों और बड़े-बड़े व्यापारियों को बड़ी भारी टैक्स छूट, रियायत और टैक्स माफी देने पर उतारू यह पूँजीवादी सरकार समय-समय पर इस या उस बहाने भविष्य निधि की ब्याज दरें घटाने और भविष्य निधि की राशि को शेयर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लगाने में लगी हुई है। इस सबसे शेयर बाजार में बाजी लगाने वाले बड़े खुश हैं जबकि भविष्य निधि जमा करवाने वालों को अपना मूल धन भी गवाने का खतरा पैदा हो गया है।

इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए हम मेहनतकश लोगों का आह्वान करते हैं कि इस घोर नाजायज आर्थिक हमले के विरोध में उठ खड़े हों और आगे आयें और जोरदार संयुक्त मजदूर आन्दोलन के दबाव में सरकार को यह कदम वापस लेने के लिए मजबूर कर दें।

(पृष्ठ 1 का शेष)

अमानवीय तीन तलाक प्रथा

तीन तलाक प्रथा खत्म करने की न्यायोचितता पर पानी फेर रही हैं कट्टरपंथियों की साजिशें

देने वाले और सभी प्रकार के धार्मिक पिछड़ेपन, अंधता, कट्टरपन, धर्मांधता और स्पष्ट रूप से महिला-विरोधी मानसिकता को जायज ठहराने वाले घोर हिन्दू साम्प्रदायिक कट्टरपंथ के पैरोकार आरएसएस, बीजेपी, संघ परिवार इस मौके को मुसलमान-विरोधी नफरत फैलाने वाले अपने अभिप्रेरित प्रचार को तेज करने के मौके के रूप में देख रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा, भयावह गरीबी और बदनसीबी पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले हिन्दुत्व के ये सौदागर जो ''नारी स्वतंत्रता की हकदार नहीं है'' ऐसे मनु स्मृति के फरमानों को ''पवित्र वचन'' मानते हैं, जनतांत्रिक सोच-समझ रखने वाले लोगों को धोखा देने के लिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करते हैं। वे ऐसा समाज के सच्चे जनतान्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि अपने घिनौने चुनावी स्वार्थ की पूर्ति के लिए साम्प्रदायिक फूट व वोटों के ध्रुवीकरण को बढ़ाने और इस्लाम धर्म पर उंगली उठाने के अपने छिपे मन्सूबे को पूरा करने के लिए करते हैं। हिन्दू साम्प्रदायिकता, रूढ़िवाद व कट्टरपंथ के पैरोकारों द्वारा यूर्निफॉर्म सिविल कोड की वकालत करना "भूत के मुंह में राम नाम" की कहावत के समान है। मुस्लिम समुदाय से बाहर के तबकों ने शोरगुल मचा कर और इस मोड़ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को अनावश्यक रूप से उठा कर मुस्लिम धर्म उपदेशकों को एक मौका दे दिया है कि वे "इस्लाम खतरे में है" तथा "अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने के संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन" का आरोप लगाते हुए धूर्ततापूर्वक मुस्लिम समुदाय को इकट्ठा कर सकें। ऐसा करके दरअसल सतायी गयी मुस्लिम महिलाओं तथा मुस्लिम पुरुषों के एक समझदार हिस्से द्वारा शुरू किए गये आन्दोलन पर गहरी चोट की गई जो आन्दोलन बेशक देर से शुरू हुआ है लेकिन न्यायोचित है। इस प्रकार तीन तलाक प्रथा के खात्मे की मांग के औचित्य और पूंजीवादी व्यवस्था के पितृसत्तात्मक समाज में दमन-उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के विलाप और शोक को नेपथ्य में धकेल दिया है और अपने निहित स्वार्थों को लेकर महिला-विरोधी दो धड़े एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा कर उत्तेजना फैला रहे हैं। इस प्रकार से हिन्दू साम्प्रदायिकतावादी रूढ़िवादी आरएसएस-बीजेपी ने पूरे मुद्दे को और अधिक विकृत और पेचीदा बना दिया है तथा मुस्लिम समुदाय में अपने प्रतिपक्ष को लाभ पहुँचाने का काम किया है।

कुछ आधारभूत प्रस्थापनाओं और इतिहास को जरा संक्षेप में दुहरायें

शुरूआत में यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि किसी भी समस्या को या किसी भी सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे की व्याख्या उसकी सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में ही करनी चाहिए। उसके सही और गलत होने का फैसला किसी के संकीर्ण या एकतरफा मत को ध्यान में रखकर नहीं होना चाहिए बल्कि उसका फैसला गतिहीनता या संकीर्ण तबकाती नजरिये से ऊपर उठकर शोषित-पीड़ित जनता के पूरे फायदे और भले की दृष्टि से होना चाहिए। प्राचीन इतिहास या समाजशास्त्र या राजनैतिक अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाला कोई भी छात्र जो सभ्यताओं के अग्रगामी कूच और समाज की प्रगति के रूपांतरण के विभिन्न चरणों से भली-भांति परिचित है, वह जानता है कि सभी कायदे-कानून, रीति-रिवाज, प्रथाएं, अनुष्ठान और व्यवहार या तो बेहतरी की सामाजिक जरूरत या चाह को मान्यता देने के आधार पर उभर कर आये थे या फिर किसी दमनकारी शासक द्वारा अपने संकीर्ण तबकाती स्वार्थ, अगर बिल्कुल ठीक कहें तो वर्ग विभाजित समाज में उसके निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए जबरन थोप दिये गए थे। दूसरे शब्दों में, ये सभी नियम-कायदे, प्रथाएं और रीति-रिवाज इन्सान के द्वारा बनाए गए थे और बनाये गए हैं और इनकी निश्चित सामाजिक-सांस्कृतिक जड़ें हैं। चूंकि समाज बदलता आया है, अतः बदलाव की जरूरत को मान्यता देते हुए नियम-कायदे, सामाजिक रीति-रिवाज और दस्तूर भी लगातार बदलते आये हैं, इससे मेल खाते हुए रद्दोबदल होते रहे हैं और उनकी जगह पूरी तरह दूसरे आ गए। इसलिए किसी चीज के सनातन, शाश्वत, अमर व चिरस्थाई होने की धारणा गैर वैज्ञानिक है, अवास्तविक है और सच का प्रहसन है। जहां सामाजिक आवश्यकता और उद्देश्यपरकता प्रगति के परिचायक के तौर पर जिस वान्छित परिवर्तन के आने की खबर देती है, वहीं सत्ता से हटा दिये जाने के जानलेवा डर से शासक वर्ग अपनी वर्गीय जरूरत और कुटिल वर्ग हित से मेल खाने वाले कुछ खास नियम-कायदों और सामाजिक प्रथाओं के अपरिवर्तनीय या शाश्वत होने का धूर्तता से प्रचार करता है। दास-दासप्रभु समाज के दौरान ऐसा हुआ, निरंकुश सामंती-राजतंत्रीय शासन काल में ऐसा हुआ और आज मरणासन्न पूँजीवादी व्यवस्था में भी ऐसा ही हो रहा है। हर किसी ने यह भी गौर किया होगा कि किस प्रकार अमेरिका के घोषित रूप से ईसाई धर्म को मानने वाले अधिकतर दास-मालिक भी गर्व के साथ कहते थे कि हम दासों को इसलिए खरीदते हैं और इनसे काम करवाते हैं कि यह भगवान की आज्ञा है। हम उसी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। रोमन शासक स्वयं को ईश्वर वंशीय बताकर इसका इस्तेमाल करते हुए दासों पर जुल्मो-सितम ढाते थे और उन्हें गुलामी का अमानवीय जीवन जीने के लिए अभिशप्त कर देते थे। जब ईसा मसीह की शिक्षाओं ने उनके इस दावे को चुनौती दी तो रोमन साम्राज्य ने अपने निरंकुश राजतंत्रीय शासन के प्रति खतरा जानकर 'दैवीय आज्ञा' की खिलाफत करने के जुर्म में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया था। इसी तरह पूँजीवाद के उदयकाल में पुनर्जागरण और बुर्जुआ जनतांत्रिक क्रान्ति के प्रणेताओं ने जब सामंती रूढ़िवाद और निरंकुश राजतंत्रीय शासन के खिलाफ धर्मनिपेरक्षता का पक्ष लिया और उन्होंने राजनीति, सामाजिक सम्बन्धों और सामाजिक प्रथाओं को धर्म से ऊपर रखने और किसी भी धार्मिक विश्वास के हस्तक्षेप से मुक्त रखने का आह्वान किया था, तो निरंकुश राजा-महाराजा और सामंती प्रभु तथा साथ ही चर्च के पादरी सत्ता से हटा दिये जाने का खतरा महसूस करने लगे जो अपने वर्ग हितों को पूरा करने के लिए अभी तक अपने आपको भगवान के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर पेश करते आये थे और लोगों पर हुक्म चलाते आये थे। पुनर्जागरण या ज्ञानोदय ने न्यायसंगतता और प्रगति के रास्ते को निर्धारित करने के आधार के तौर पर धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन को नहीं, बल्कि तार्किकता को आधार बनाया था। जाहिर है कि सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाना टालने के आखिरी जीतोड़ प्रयास के तौर पर सामंती-राजतंत्रीय शासकों ने इसे 'ईश्वरत्व पर हमला' करार देकर खूब बावेला मचाया था। जैसे कि पश्चिमी यूरोप के इतिहास में देखा जा सकता है कि पोप ने 'डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन' नामक एक जाली दस्तावेज का इस्तेमाल कर दावा किया था कि राजाओं को नियुक्त करने और सत्ता से हटाने का अधिकार एकमात्र उसी को है और जो भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। 18वीं शताब्दी के स्कॉटलैण्ड के जाने-माने दार्शनिक और इतिहासकार डेविड ह्यूम जिनका बुर्जुआ जनतंत्र के पितामह थॉमस जैफरसन अकसर जिक्र किया करते थे, उन्होंने एक बार कहा था कि ''पंडे-पुरोहितों और राजकुमारों के प्रति अंधविश्वासपूर्ण परम्परागत सम्मान के आधार पर मुख्यतः स्थायित्व ग्रहण किए हुए सामंतों-राजतंत्रों में लोगों को सीमित अधिकार-स्वतंत्रता प्राप्त थी ... इस वजह से. ..लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की कतरब्योंत कर दी थी और सामंतों की राजनैतिक तथा नैतिक अथोरिटी के प्रति स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया था। इस प्रकार लोगों ने नीति-नैतिकता और राजनीति में अपनी खुद की तर्क-शक्ति के इस्तेमाल में कमी लाकर खुद कों नैतिक ज्ञान के लिए चर्चों और राजसत्ता पर आश्रित बना दिया।''(मैकफरसन, पोलिटिकल थ्योरि ऑफ पाजेस्सिव इण्डिविजुवलिज्म) लेकिन दलदल में तड़फड़ाती हुई, मरती हुई चर्चशाही द्वारा पुराने अत्याचारी सामंती-निरंकुश शासन को बचाने के लिए किये गये ये सभी घिनौने और धूर्त प्रयास नाकाम साबित हुए और नई जनतांत्रिक-सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद उस समय प्रचलित तमाम सामाजिक परम्पराएं और रीति-रिवाज जो कि ज्यादातर धर्म पर आधारित थे और समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, महिला स्वतंत्रता, प्रेम की स्वतंत्रता आदि की – निश्चित ही बुर्जुआ अर्थों में –हिमायत करने वाले वान्छित सुधारों के विरोधी थे और जिन्होंने इन सुधारों को तिलांजलि देनी चाही थी। उन वान्छित सुधारों के लिए ये पुराने रीति-रिवाज और परम्पराएं अगर अवरोधक नहीं तो, असंगत जरूर थे। पाश्चात्य चर्च की ही तरह जिस समय 19वीं शताब्दी में भारत की सरजमीं पर जब ज्ञानोदय होने लगा यानी पुनर्जागरण काल के विचारों ने अपने कदम रखे, उस समय सामंती प्रभुओं के साथ-साथ हिन्दू पंडे-पुरोहितों ने इन सभी सामाजिक सुधारों का कड़ा विरोध किया था। भयावह सती प्रथा उन्मूलन के राममोहन राय के प्रयासों को उन्होंने हिन्दू धर्म का अपमान और 'ईश्वर की इच्छा' से छल-कपट बताया था। भारतीय नवजागरण काल के दूसरे प्रणेता ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा के लिए आन्दोलन किया था, तो उनको भी इसी लाइन पर हिन्दू पुरोहित वर्ग के ऐसे ही विरोधों का सामना करना पड़ा, था। राममोहन और विद्यासागर दोनों ने ही निश्चयात्मक रूप से यह साबित कर दिया था कि किसी भी हिन्दू धर्मशास्त्र या तथाकथित ईश्वरीय ग्रंथ में इन मध्यकालीन प्रथाओं को कोई इजाजत नहीं दी हुई है। उसने जाहिराना तौर पर सिद्ध कर दिया कि ये सब प्रथाएं शास्त्र वचनों के बाहर से थोपी हुई थी और इन्हें ईश्वरीय आज्ञा होने का दावा हरगिज नहीं किया जा सकता था। भारतीय पुनर्जागरण के दोंनों प्रतिपादकों, राममोहन और विद्यासागर ने समाज के जनतांत्रीकरण की जरूरत से उभरे जिन सुधारों को भारत में लाना चाहा उनमें शामिल थे महिलाओं को पितृसत्तात्मक प्रभुत्व, दासता और उत्पीड़न से मुक्त करना और उनकी स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता को मान्यता देना।

गलत है किसी भी रीति-रिवाज और दस्तूर की अपरिवर्तननीयता का विचार

इसलिए देखा जा सकता है कि सभी कायदे-कानून और रीति-रिवाज मनुष्य के द्वारा ही बनाये गये हैं, या तो जनहित में या फिर शासकों के हित में। फिर, विज्ञान और समाज शास्त्र का अध्ययन यह भी साबित कर देगा कि इस परिवर्तनशील संसार में शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अचल कुछ भी नहीं है। क्योंकि गति ही वस्तु के अस्तित्व का ढंग है, जैसा कि विज्ञान द्वारा निर्विवादित रूप से साबित किया जा चुका है, इसलिए इस भौतिक संसार में परिवर्तन एक प्राकृतिक परिघटना है। प्रगति हमेशा परिवर्तन के जरिये, पुराने, पुरातन व अप्रचलित से नए उभरते हुए उन्नत की तरफ होती है। अगर किसी पुरानी प्रथा, नियम-कायदे या रीति-रिवाज की प्रयोगिकता समाप्त हो गई है, वह पुराना हो गया है और सामाजिक प्रगति में बाधक बन गया है तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए और बदल देना चाहिए। इसलिए किसी भी नियम-कायदे, परम्परा या रीति-रिवाज के विषय में यह दावा करना कि यह शाश्वत या अपरिवर्तनशील है, चाहे ऐसा किसी भी दलील के आधार पर कहा जा रहा है, यह पूरी तरह मानव सभ्यता के क्रम-विकास के वैज्ञानिक नियम, परिवर्तन और प्रगति की अवहेलना है। यह सड़ी हुई लाश के साथ चिपके रहने जैसा ही है, चाहे वह व्यक्ति जब वह जीवित था, तो कितना ही सुन्दर क्यों न रहा हो।

इस पृष्ठभूमि में अगर कोई किसी रीति-रिवाज को 'ईश्वरीय आदेश' कहकर या अन्य किसी कारण से अपरिवर्तनीय होने का दावा करता है, तो क्या यह तर्क की कसौटी पर अमान्य सिद्ध नहीं होगा? क्या यह किसी भी विवेकशील, समझदार व सही सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए स्वीकृत होगा? अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो निरर्थक परम्पराएं जैसे तीन तलाक, निकाह हलाला (जिसमें एक महिला, जिसे तलाक दे दिया गया हो, वह अपने पहले पति के साथ दुबारा तभी रह सकती है जब वह किसी दूसरे से शादी करके उसके साथ तलाक ले ले।), द्वि विवाह, बहु पत्नी प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, पत्नी को सिर्फ इसलिए त्याग देना कि या तो वह बांझ है या फिर वह सिर्फ कन्या को ही जन्म दे रही है, बांझ महिला का सामाजिक बहिष्कार, बांझ स्त्री को पति की दूसरी शादी के लिए सहमति देने पर मजबूर करना, पत्नी द्वारा घण्टों तक बिना खाए रहना, उपवास रखना ताकि पति की उम्र लम्बी हो सके, विधवाओं को किसी मांगलिक कार्य से दूर रहने का आदेश, मासिक धर्म के समय महिलाओं का रसोईघर में और पूजा स्थलों पर जाना वर्जित कर देना ताकि कहीं देवालय अपवित्र न

(शेष पृष्ठ 4 पर)

नोटबंदी का देश भर में विरोध

(पृष्ठ 1 का शेष)

राजधानी पटना में पार्टी कार्यकर्ता-समर्थकों ने प्रतिवाद मार्च निकाला। पटना जंक्शन गोलम्बर पर सभा हुई। उसके उपरांत जुलूस निकाला गया। जुलूस डाक बंगला चौराहा, फ्रेजर रोड होते हुए जेपी गोलम्बर तक गया। इसमें शामिल पार्टी कार्यकर्ता मोदी सरकार के नोटबंदी के जनविरोधी फरमान के खिलाफ गर्मजोशी से नारे लगा रहे थे।

पटना जंक्शन गोलम्बर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पार्टी बिहार राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. मणिकांत पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने बगैर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किये नोटबंदी कर आम जनता को काफी परेशानी में डाल दिया है। इससे जनजीवन ठप-सा हो गया है तथा अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के नतीजतन बैंक व एटीएम की कतारों में तथा इलाज व दवा के अभाव में सैकड़ों लोग अपनी जान गवां चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'मन की बात' में इस पर तनिक भी संवेदना व्यक्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि खाने-पीने की चीजों सहित रोजाना की जरूरी चीजें बेचने वाले छोटे दुकानदार माथे पर हाथ रखे बैठे हैं। दैनिक या साप्ताहिक दिहाड़ी करने वाले, ठेके पर काम करने वाले या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उन्हें वेतन-मजदूरी नहीं मिल पा रही है। किसानों के हाथ में नगद नयी मुद्रा नहीं है, उन्हें बेची हुई अपनी फसल के पैसे बैंकों में जमा कराने पड़ रहे हैं। ऐसे में खाद-बीज, कीटनाशक आदि खरीदने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पैसे के बिना शादी-विवाह में भारी दिक्कतें आ रही हैं।

सभा को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (सी) पटना जिला सचिव कॉ. साधना मिश्रा ने कहा कि विदेशों के लगभग 30 लाख करोड़ रुपये काले धन के रूप में जमा है। यही देश का 94 प्रतिशत काला धन है। मोदी जी को सत्तासीन हुए 2 साल हो गये। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बावजूद इस विशाल धन को देश में लाने के लिए सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। साधना मिश्रा ने कहा कि सरकारी बैंकों के 11 लाख करोड़ रुपये की बड़ी पूंजी देश के कारपोरेट घराने, बड़े पूंजीपति जब्त करके रखे हुए हैं। इसे वसूलने की बजाय सरकार इन पूंजीपतियों का कर्ज माफ करती जा रही है। जबकि इन पूंजीपतियों-उद्योगपतियों के मुकाबले कर्ज के रूप में ली गयी नगण्य राशि चुका पाने में असमर्थ गरीब किसानों की कुर्की जब्ती हो रही है। उन्हें जेल में डाला जा रहा है।

सभा को संबोधित करते हुए राज्य कमिटी सदस्य कॉ. राजकुमार चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार अपने आका कारपोरेट घरानों, बड़े पूंजीपतियों का काला धन जब्त करने के बदले आम आदमी का पैसा बैंकों में जमा कर अंबानियों-अडानियों के लिए सस्ते दर पर बड़े कर्ज की जुगत लगा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नोटबंदी की नीति काला धन निकालने के लिए नहीं, बल्कि आम जनता को गुमराह करने, उनके विक्षोभों को भटकाने, भ्रष्टाचार को छुपाने, चुनावी लाभ बटोरने और आम आदमी को भीषण कठिनाई में धकेलने की बाजीगरी के अलावा और कुछ नहीं है।

सभा को राज्य कमिटी सदस्य कॉ. इन्द्रदेव राय, युवा संगठन एआईडीवाईओ नेता कॉ. अनिल कुमार चांद, छात्र संगठन एआईडीएसओ नेता कॉ. निकोलाई शर्मा आदि ने भी संबोधित किया। सभी नेताओं ने नोटबंदी के जनविरोधी फैसले को अविलम्ब वापस लेने तथा मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की।

दुर्ग (छ.ग.) : केन्द्र सरकार के 500 रुपये व 1000 रुपये की नोटबंदी के फैसले के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस पर 28 नवम्बर को एस.यू.सी.आई. (सी) जिला दुर्ग के द्वारा राजेन्द्र पार्क चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि 500 रुपये व 1000 रुपये की नोटबंदी का फैसला वापस लिया जाए। उद्योगपतियों से बकाया 115 लाख करोड़ रुपये वसूले जाएं। इसके बदले किसानों का कर्ज माफ किया जाए। देश के सारे नेताओं व अधिकारियों की आय का लेखाजोखा आम जनता के सामने प्रस्तुत किया जाये। कालेधन के असली अपराधियों को जनता के सामने लाया जायें, उन्हें सजा दी जाये। नोटबंदी के कारण मारे गए नागरिकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाये।

बैंगलौर में आशाकर्मियों की विशाल रैली

बैंगलोर शहर में 26 दिसम्बर को एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध कर्नाटक स्टेट आशा वर्कर्स यूनियन (के.एस.ए. डब्ल्यू.यू.) के तत्वावधान में आशाकर्मियों की विशाल रैली हुई और अधिकारियों को मांगों का ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में सरकार से मांग की गई कि आशाकर्मियों के मासिक मानदेय का भुगतान नियमित रूप से किया जाए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, पिछले साल से बकाया राशि का मामला तुरन्त निपटाया जाए।

रैली को कर्नाटक राज्य सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल प्रो. रवि वर्मा कुमार, एआईयूटीयूसी के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष कॉ. राधाकृष्ण, साहित्यकार व सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती रूपा हसन, एसयूसीआई (सी) की कर्नाटक राज्य कमेटी सदस्य कॉ. के. उमा, आशा वर्कर्स यूनियन के.एस.ए.डब्ल्यू.यू. की महासचिव कॉ. डी. नागलक्ष्मी व अन्य नेताओं ने सम्बोधित किया। के.एस.ए.डब्ल्यू.यू. के राज्याध्यक्ष कॉ. सोम शेखर ने सभा की अध्यक्षता की।

कर्नाटक राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संसदीय सचिव डा. उमेश जी यादव ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

सद्भावना रैली आयोजित

पटना (बिहार) : 6 दिसम्बर को छह वाम दलों सीपीआई, सीपीआई(एम), सीपीआई(एमएल) लिबरेशन, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), आरएसपी व ऑल इण्डिया फॉरवर्ड ब्लाक ने पटना में जेपी गोलम्बर से भगत सिंह चौक तक साम्प्रदायिकता-विरोधी जुलूस निकाला। जुलूस के बाद हुई सभा को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के बिहार राज्य सचिव कॉ. अरुण कुमार सिंह व अन्य नेताओं ने सम्बोधित किया।

जौनपुर (उ.प्र.) : 6 दिसम्बर को यहां जनसमस्याओं व साम्प्रदायिक व फासीवादी ताकतों के खिलाफ वाम दलों की तरफ से सामाजिक सद्भावना रैली निकाली गई। रैली जौनपुर स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र से चलकर पोलिटेक्निक चौराहे, ओलंदगंज, कलेक्ट्रेट होते हुए अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। रैली में लोगों ने केन्द्र सरकार-विरोधी नारे लगाये। सभा को एसयूसीआई(सी) से कॉ. रविशंकर मौर्य व महेन्द्रनाथ मौर्य, सीपीआई(एम) से कॉ. किरण शंकर सौलंकी और सीपीआई से कॉ. जयप्रकाश सिंह ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता कॉ. जगदीशचन्द्र अस्थाना ने की और संचालन कॉ. अरुण कुमार पाठक ने किया।

भवन निर्माण श्रमिकों ने सौंपा ज्ञापन

रोहतक (हरियाणा) : भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन ने 14 दिसम्बर को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। श्रमिकों की अगुआई यूनियन के जिला प्रधान कॉ. राजकुमार समचाना और जिला सचिव कॉ. जगदीश गद्दीखेड़ी ने की। पहले मानसरोवर पार्क में जिला के विभिन्न गांवों व शहर से आये यूनियन कार्यकर्ताओं की सभा हुई। सभा को केन्द्रीय ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी के राज्य प्रधान कॉ. सत्यवान ने सम्बोधित किया।

लेबर महकमे द्वारा मजदूरों तक पहुंच कर खुद रजिस्ट्रेशन सरल व बिना फीस के करने, चोट लगने पर मुफ्त इलाज व हर्जा खर्चा देने, मृत्यु होने पर 11 लाख रुपये मुआवजा देने, मजदूरी देने से इन्कार करने वालों के खिलाफ कारगर व सख्त कार्रवाई का कानून बनाने, ठेकेदारों की मनमानी पर रोक लगाने, ठेकेदारी प्रथा बंद करने, नरेगा के जॉब कार्ड बनाये जाने व 500 रु. दैनिक मजदूरी पर काम देने, हर जिला में सहायक निदेशक को क्लेम देने का प्रावधान होने, सभी के स्मार्ट कार्ड बनाने, सभी हितलाभों का भुगतान 1 महीने में करने, प्रवासी मजदूर कानून लागू करने, हर केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि को कल्याण बोर्ड में लिये जाने, हर गांव-शहर में सरकारी दुकान खोलकर जरूरी चीजें सस्ते रेट पर सभी परिवारों को देने, देहात में 100 गज व शहर में 60 गज के रियायशी प्लाट देने, मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपये अनुदान देने, लेबर चौकों पर सर्दी, गर्मी व बारिश से बचाव के लिए शैल्टर बनाने और इनमें साफ पेयजल, बिजली, शौचालयों का प्रबंध किये जाने की मांग की गई।

(पृष्ठ 2 का शेष)

अमानवीय तीन तलाक प्रथा

समाज का जनतांत्रीकरण न होने से है पुराने सामंती विचार, रीति-रिवाज, धर्मान्धता, रूढ़िवाद का वजूद

हो जाए, संथरा (जैन मत के अनुसार इच्छामृत्यु) और ऐसे दूसरे रीति-रिवाज और परम्पराएं जिनका धर्म, संस्कृति और रिवाज के नाम पर पालन किया जाता है ये सभी निरर्थक और अपमानजनक प्रथाओं के जीते-जागते उदाहरण हैं। इसलिए जब मुस्लिम लोग, विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक को निषेध करने की मांग करती हैं जिसे वे पुरुष-प्रधान समाज की एक कठोर प्रथा मानती हैं जो महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा को तार-तार कर देने वाली प्रथा है और एक बहुत ही कठोर और पुरातन प्रथा है जिसे तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए, तब इस मांग के औचित्य को समझने के लिए हर किसी व्यक्ति को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, तार्किक होना होगा और किसी की पूर्वाग्रह और विकृत सोच, अन्धता और हठ ये मुक्त होना होगा। इस प्रक्रिया में यह एक जायज मांग है। इस मांग को दृढ़ता के साथ समर्थन देना चाहिए तथा इस मांग की न्यायपरायणता को तोड़ने-मरोड़ने और इसे विकृत करने के सभी प्रयासों को निष्फल कर देना होगा।

समाज के जनतांत्रीकरण का इतिहास

इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए समाज के जनतांत्रीकरण के इतिहास और उसकी आवश्यकता पर संक्षेप में चर्चा करें। लोगों को सामंती समाज में धर्मिक विश्वासों, प्रथाओं, रीति-रिवाजों और धार्मिक निषेधाज्ञाओं को शासक पुरोहित वर्ग के आदेशों के रूप में अंधतापूर्वक मानना पड़ता था। पुरोहित वर्ग यह प्रचारित कर दिया करते थे कि मनुष्य और कुछ नहीं है बल्कि अलौकिक सत्ता का प्रक्षेपण मात्र है। इसलिए वे अलौकिक सत्ता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। यही बात निरंकुश पुरोहित वर्ग लोगों को समझाते थे। इसके खिलाफ सामंती ढांचे का विध्वंस करते हुए और मानव मस्तिष्क को रूढ़िवादी विचारों से मुक्त करते हुए पूँजीवाद के आगमन काल में धर्मनिरपेक्षता की आवाज बुलन्द की गई। एक सही धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य के ढांचे में धर्म का राजकीय या सार्वजनिक मामलों में कोई स्थान नहीं होता है। क्योंकि इतिहास के अटल पथ का अनुसरण करते हुएं धर्म पहले ही पुरातन हो चुका है, इसलिए हर लिहाज से प्रतिगामी हो चुका है। धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक विचारों के अनुसार सभी विधि-विधानों और कार्यकलापों को धर्म से स्वतंत्र देखा जाएगा। धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का मानना है कि धर्म एक निजी विश्वास का मामला है जिसका सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यूरोप में चर्च को राजसत्ता से अलग रखने के लिए, दूसरे शब्दों में, चर्च के चंगुल से राजसत्ता को मुक्त करने के लिए और सामाजिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों को धार्मिक दासता से मुक्त करने के लिए, धार्मिक निषेधाज्ञाओं जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विशेष रूप से नारी स्वतंत्रता की विरोधी थी, पर रोक लगाने के लिए एक लम्बा अभियान और सतत संघर्ष चलाया गया था। यह मांग ईसाई समुदाय में धर्म सुधारक मार्टिन लूथर द्वारा धर्म सुधार आन्दोलन के रूप में उठाई गई थी। परिणामस्वरूप पुराने रूढ़िवादी और कट्टर विचारों की बेड़ियां तोड़कर जीवन की जनतांत्रिक अवधारणा की शुरूआत की गई थी जो विज्ञान की प्रगति पर आधारित थी। इसके कारण सामन्ती समाज से जनतांत्रिक समाज की ओर स्थानांतरण आसान बन गया था। यही कहानी थी समाज के जनतांत्रीकरण की जो हर प्रकार के अति-प्राकृत यानी अलौकिक सत्ता में विश्वास के खिलाफ मानव जाति को सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वीकार करने के गैर-समझौतावादी संघर्ष पर आधारित था।

इस्लाम के इतिहास को जानने वाले विद्वान या इसे जानने को लालायित छात्र बखूबी जानते हैं कि जैसे ही अरब देशों की ओर देखना शुरू करेंगे तो तो एक दूसरी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। दुर्भाग्य से ज्यादातर अरब देशों में सामाजिक-ऐतिहासिक कारणों से पुनर्जागरण आन्दोलन या ज्ञानोदय नहीं हो पाने से वहां समाज का जनतांत्रीकरण नहीं हो पाया। इसलिए युगों पुरानी धर्म आधारित प्रथाएं जो पुराने वक्त में एक सामाजिक जरूरत से और प्रगति की चाह से पहले जमाने में उभर कर आयी थीं, उन्हें खत्म करने का काम पूरा नहीं हो पाया। इसलिए कई पहलुओं में पिछड़ापन और ठहराव समाज में बरकरार रहा और पीड़ित मुस्लिम समुदाय की वांछित प्रगति और ज्ञानोदय नहीं हो पाया। यह इतिहास की विडम्बना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतिहास की इसी विडम्बना के कारण कट्टरपंथियों ने शोषित मुस्लिम समुदाय को धर्मिक कट्टरता, अन्धविश्वास और अतार्किकता में उलझा कर रखा और तार्किक चिंतन को पनपने नहीं दिया। इसीलिए मेहनतकशों का यह तबका भ्रमजाल में शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था में अन्य शोषित तबकों की ही तरह कठिनाइयों में जी रहा है, यह एक वस्तुनिष्ठ सत्य है, जिसे कोई नकार नहीं सकता।

तुर्की में सुधार

एकमात्र अपवाद तुर्की रहा जहां तुर्की के स्वतंत्रता संग्राम का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने और तुर्की के नये जनतांत्रिक गणतंत्र को स्थापित करने के बाद कीर्तिशाली समाज सुधारक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने साहसपूर्वक समाज का जनतांत्रीकरण शुरू किया। उन्होंने जो कदम उठाये उनमें खलीफा (मान्यता प्राप्त धार्मिक नेता) को हटा देना, तमाम धार्मिक अदालतों और स्कूलों को बन्द कर देना, सार्वजनिक क्षेत्र की कर्मचारियों के लिए हिजाब (हैड स्कार्फ) पहनना मना कर देना, धार्मिक कानून मंत्रालय और धार्मिक संस्थान खत्म कर देना, तुर्की टोपी पहनने का निषेध कर देना, औद्योगिकीकरण का समर्थन करना और यूरोपियन देशों, विशेषकर प्रगतिशील स्विस कोड के जनवादी मॉडलों पर आधारित नई कानूनी आचार संहिताओं को अपनाना शामिल था। इतिहास में पहली बार इस्लामिक कानून को धर्मनिरपेक्ष कानून से अलग किया गया था। मुस्तफा कमाल ने ऐलान किया था, "हमें अपनी न्याय की अवधारणा, हमारे कानूनों और हमारे न्यायायिक संस्थानों को उन बन्धनों से मुक्त करना चाहिए जो हालांकि हमारे देश की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं फिर भी मजबूती से हमें जकड़े हुए हैं।" उन्होंने एक सिविल कोड लागू किया जिसके तहत महिलाओं ने उत्तराधिकार और तलाक जैसे मामलों में पुरुषों से बराबरी हासिल की थी। उनकी सोच के मुताबिक महिलाओं और पुरुषों की एकजुटता से ही समाज अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है। एक सभा के दौरान उन्होंने लक्ष्य करके कहा था:

महिलाओं से : हमारे लिए तालिम की जंग फतह करिए और हम जो कर सके हैं उससे भी बढ़कर आप अपने देश के लिए करेंगी।

पुरुषों से : यदि अब से आगे महिलाएं भागीदारी नहीं करती हैं तो हम कभी भी अपना पूरा विकास हासिल नहीं कर सकते हैं। हम असाध्य रूप से पिछड़े रहेंगे और पश्चिमी सभ्यताओं के साथ बराबरी का व्यवहार करने में अक्षम बने रहेंगे।

वांछित सामाजिक सुधार को आगे नहीं बढ़ा सकता पूँजीपति वर्ग

अब समझने की बात यह है कि इतिहास के सामान्य क्रम के अनुसार पूँजीपति वर्ग को जिसने एक समय जराग्रस्त प्रतिक्रियावादी सामंती-राजतंत्रवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर नये युग का सूत्रपात किया था, सत्य के प्रवेश द्वार के रूप में वैज्ञानिक तर्क और विवेक को बुलन्द किया था, युगों पुराने तमाम पंथों, अंधविश्वासों, प्रतिगामी परम्पराओं और निर्दयी समाज के जनतांत्रीकरण के लिए व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक सुधारों को लागू किया था, वह अब अपनी ह्रासोन्मुख अवस्था में पहुँच कर खुद प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी और बेरहम दमनकारी हो गया है। इसलिए यह वांछित सामाजिक प्रगति के सामने खुद ही मुख्य बाधा बन गया है और पिछले शासकों की तरह अपने जीर्ण-शीर्ण शोषणमूलक शासन को कायम रखने के लिए हर संभव कदम उठाने का प्रयास कर रहा है। इन कदमों में मुख्य है चिंतन प्रक्रिया को प्रतिगामी बना देना, मननशीलता को कुंद कर देना और इस तरह सत्य तक पहुँचने के रास्ते को बन्द कर देना। शासक पूँजीपति वर्ग भयभीत है कि यदि लोगों को सोच के वैज्ञानिक ढंग अपनाने और सत्य पर पहुँचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करने तथा चीजों पर फैसला लेने की इजाजत दी जाती है तो पूँजीपति व्यवस्था की क्षयोन्मुखी अवस्था तुरन्त उजागर हो जाएगी। उनके सामने खुलासा हो जाएगा कि पतनोन्मुख मरनासन्न पूँजीवादी व्यवस्था तमाम बुराइयों, पथभ्रष्टताओं, व्याधियों, भेदभावों और वंचनाओं को जन्म दे रही है और इस पतनशील व्यवस्था के क्रान्तिकारी उच्छेदन में ही मुक्ति निहित है। एकबार यह सत्य आत्मसात कर लिया जाए और पूँजीवादी व्यवस्था के विध्वंस की सही प्रक्रिया स्पष्ट हो जाए तो मेहनतकश जनता इस दमनकारी पूँजीवाद के खिलाफ संयुक्त सचेत अभ्युत्थान के लिए कमर कस लेगी और इस प्रकार पूँजीवाद-विरोधी सर्वहारा क्रान्ति हासिल करने की प्रक्रिया को तेज कर देगी। इसलिए शासक पूँजीपति वर्ग न केवल तमाम सामंती अवशेषों, धार्मिक अंधताओं और कट्टरता के साथ समझौता कर रहा है बल्कि खुद ही विभिन्न प्रतिगामी विचारों और संलिप्तताओं को उकसा रहा है, रूढ़िवादिता और साम्प्रदायिकता को भड़काने के साथ-साथ धार्मिक विधि-विधानों और आज्ञाओं की शाश्वतता की सैद्धान्तिक प्रस्थापना का समर्थन कर रहा है। एकमात्र उद्देश्य है लोगों को अंधता, धार्मिक कट्टरता, पूर्वाग्रहों, असहिष्णुता, तर्कहीनता और भाग्यवाद की रहस्यमयी अंधी गली में कैद रखना। इन हालातों में किसी भी देश में समाज का जनतांत्रीकरण केवल तभी पूरा किया जा सकता है जब धर्मान्धता और तर्कहीन विचारों के खिलाफ धर्मनिपेरक्ष वैज्ञानिक नजरिये को बढ़ावा देने जैसे बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति के तमाम अधूरे कामों को, इस युग की सर्वोत्तम विचारधारा मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आधार पर सबसे अगुआ वर्ग के रूप में सभ्यता की प्रगति को नेतृत्व देने के लिए ऐतिहासिक रूप से अग्रसर मजदूर वर्ग के नेतृत्व में पूँजीवाद-विरोधी सर्वहारा क्रान्ति के प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए।

हमारे राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष की कमजोरियां

अब यदि हम भारत की तरफ देखें तो यह पता चलेगा कि खास सामाजिक-ऐतिहासिक कारणों से जैसाकि इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी चिंतनकार कॉमरेड शिवदास घोष ने भारत की ठोस स्थिति में मार्क्सवाद को ठोस रूप से लागू करते हुए व्याख्या करके दिखाया कि भारतीय समाज का पूरा जनतांत्रीकरण नहीं हुआ है। तमाम तरह की धार्मिक जटिलताओं से बाहर आने की बजाय हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष का वैचारिक आधार निर्मित करने के लिए पौराणिक ग्रंथों में वर्णित हिन्दू धार्मिक मूल्यों को पनपाने की वकालत की थी। हिन्दू धर्मोन्मुख राष्ट्रवाद ने व्यापक मुस्लिम जनता को आजादी आन्दोलन से विमुख कर दिया और उन्हें इस्लामिक धार्मिक रीति-रिवाजों के संरक्षण की तरफ प्रोत्साहित कर दिया जो कि जनवादी समाज के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाते हैं। इसने मुस्लिम जनता और राष्ट्रवादी ताकतों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। इस तरह, सभी अलग-अलग धर्म मानने वालों को एक समरूप राष्ट्र में समायोजित करने का अति महत्वपूर्ण कार्य अधूरा ही रह गया और सामंती अवशेषों के रूप में पुराना सामंती चिंतन, रीति-रिवाज, दस्तूर, आदतें, मान्यताएं, धर्मांधता, कट्टरता भारतीय पूँजीवादी समाज में अभी तक भी बरकरार हैं। यही वजह है कि हमारा संविधान भी धर्मनिपेरक्ष नहीं बना और विभिन्न स्वविरोधी अनुच्छेद व धाराएं इसके बनाने के दौरान किये गए विभिन्न अवांछित समझौतों की सबूत हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है शासक पूँजीपति वर्ग के समर्थन और तुष्टीकरण के चलते साम्प्रदायिक-रूढ़िवादी ताकतें अपने संकीर्ण साम्प्रदायिक स्व-पोषित स्वार्थ में इस कमजोरी और सामंती सनकों के अवशेषों का आज इस्तेमाल कर रही हैं। तीन तलाक पर रोक लगाने की मांग के बारे में सही समझ हासिल करने के लिए इस पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है जिसका मुस्लिम मौलवियों, रूढ़िवादियों द्वारा विरोध किया जा रहा है और हिन्दू साम्प्रदायिक आरएसएस-बीजेपी-संघ परिवार अपना मुस्लिम-विरोधी जहर उगल कर समस्या को और भी जटिल बना रहा है।

तीन तलाक का दस्तूर

अब भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ और तीन तलाक की प्रथा के बारे में हम चन्द शब्द रखेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं भारत में विभिन्न धार्मिक और वंशमूलीय समुदायों तक के लिए भी अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं। इस संबन्ध में राज्य-विशिष्ट कानून भी है। गोवा में हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत कोई हिन्दू विवाह नहीं करता है। पाण्डीचेरी में भी ऐसा ही है। इसी तरह कश्मीर और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लॉ एक-दूसरे से भिन्न हैं। ईसाइयों का अपना क्रिश्चन एक्ट है। पारसियों का पारसी एक्ट है। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 एक साथ तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक देने की एक आदमी को इजाजत देता है। वह तीन बार तलाक लिखकर पत्र भी भेज सकता है या ई-मेल कर सकता है। इस तरह एकतरफा ढंग से तलाक देना पति का अनन्य निर्विवाद अधिकार या विशेषाधिकार है जो पत्नी के लिए बाध्यकारी है, कोई बात नहीं बेशक कारण चाहे कितना ही तुच्छ या बेरहम हो। ऐसी

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष अध्ययन केन्द्र घाटशिला में एसयूसीआई(सी) मध्य प्रदेश राज्य इकाई का शिक्षण शिविर सम्पन्न

घाटशिला (झारखण्ड) : कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से उन्नत करने और संगठन के सुदृढ़ीकरण को लक्ष्य करते हुए एसयूसीआई(सी)मध्य प्रदेश राज्य इकाई द्वारा घाटशिला, झारखण्ड में स्थित मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष अध्ययन केन्द्र में 20 से 23 नवम्बर 2016 को चार दिवसीय शिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में मध्य प्रदेश के 11 जिलों से 174 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि पूरे राज्य में विभिन्न जिला कमेटी व लोकल कमेटी स्तर पर तीन महीने पहले से ही सभी कार्यकर्ता 'मार्क्सवाद एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के कुछ पहलू' नामक पुस्तक का अध्ययन कर इस शिविर की तैयारी में जुटे हुए थे।

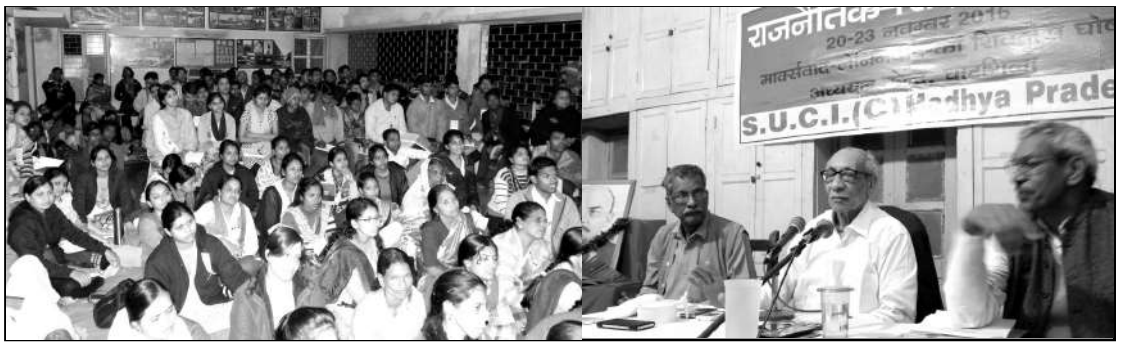

घाटशिला : शिक्षण शिविर का संचालन करते हुए का. कृष्ण चक्रवर्ती

शिविर का संचालन पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती द्वारा किया गया। शिविर का प्रारम्भ 20 नवम्बर को प्रात: 10 बजे कॉमरेड शिवदास घोष की प्रतिमा के समक्ष मार्चपास्ट से हुआ। पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने झंडा फहराया और केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. सत्यवान व म.प्र. राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल ने भी पुष्प अर्पण किये। नवम्बर क्रान्ति के शताब्दी वर्ष के दौरान शिक्षण शिविर के होने के कारण नवम्बर क्रान्ति से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। शिविर के प्रारम्भिक सत्र में सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड लेनिन व कॉमरेड शिवदास घोष के चित्रों पर कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती, कॉ. सत्यवान और कॉ. प्रताप सामल ने पुष्प अर्पण किया। म्यूजिक स्क्वाड द्वारा कॉ. लेनिन और कॉ. शिवदास घोष पर रचित गीत प्रस्तुत किये गए। एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के दिवंगत बिहार राज्य सचिव कॉ. शिवशंकर को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इंदौर पटना रेल दुर्घटना में मृत यात्रियों को भी 2 मिनट मौन रख कर श्रद्धांजलि दी गई।

शिविर को संबोधित करते हुए कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने चर्चा करते हुए दिखलाया कि कैसे केसे प्रत्येक घटनाक्रम को प्रचलित दर्शन से विचार किया जाता है। जब वर्ग विभाजित समाज में दर्शन और विचार पद्धति भी एक नहीं होती, तब हमारे जाने-अनजाने ही हम किसी न किसी वर्ग विशेष के ही विचार से संचालित होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा विचार हमारे चिंतन में काम कर रहा है, ताकि हम सचेत रूप से उसे संचालित कर सकें। उन्होंने हेगेल, फ्यूअरबाख के दर्शन और मार्क्सवाद के क्रमिक दार्शनिक उन्नयन को दिखाया और बताया कि एकमात्र मार्क्सवाद ही सत्य और विज्ञान पर आधारित दर्शन है और हम क्रान्तिकारियों को चूंकि सत्य की आवश्यकता होती है इसीलिए हमें मार्क्सवाद को लेकर ही आगे बढ़ना होगा। उन्होंने दिखाया कि कैसे कॉमरेड शिवदास घोष ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के ज्ञान भण्डार को और भी समृद्ध किया। शिविर के आखिरी सत्र यानी 23 नवम्बर को कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने कार्यकर्ताओं द्वारा रखे गये सवालों पर चर्चा करते हुए म.प्र. में सांगठनिक विषयों और कार्यकर्ताओं के निजी जीवन में भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिंतन को लागू करने के बारे में भी विस्तार से चर्चा की।

शिविर में सभी आयु वर्ग के कॉमरेडों ने साफ-सफाई, व्यायाम और खेल-कूद में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।

कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती के उद्बोधन के अंतराल में समूह चर्चाओं का आयोजन किया गया, जिनमें सभी कॉमरेडों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की।

उत्तर प्रदेश में छात्र कैम्प आयोजित

जौनपुर (उ.प्र.) : एआईडीएसओ की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी की तरफ से 20-21 नवम्बर को सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज बदलापुर, जौनपुर के प्रांगण में दो दिवसीय छात्र कैम्प लगाया गया। इससे पहले शहर में छात्र रैली हुई। वहां हुई सभा की अध्यक्षता संगठन की राज्य अध्यक्ष झरना मालवीय ने की। संचालन राज्य सचिव हरिशंकर मौर्य ने किया। पहले सत्र में मुख्य अतिथि एसयूसीआई(सी), उ.प्र. राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉ. सपन चटर्जी थे। मुख्य वक्ता संगठन के महासचिव अशोक मिश्रा के अलावा दिनेशकांत महंत ने भी सभा को संबोधित किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक नाटक का मंचन किया। दूसरे सत्र में 'शिक्षा-संस्कृति व नीति-नैतिकता का संकट' विषय पर हुई चर्चा में बहुत सारे छात्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जौनपुर : छात्र कैम्प शुरू होने से पहले शैक्षणिक मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए छात्र

शराब एवं गांजे की अवैध बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन

दुर्ग (छ.ग.) : शराब एवं गांजे के अवैध बिक्री को तत्काल बंद करने एवं शराब कोचियों के द्वारा महिलाओं को धमकाये जाने के खिलाफ ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (ए.आई.एम.एस.एस.) जिला दुर्ग कमेटी एवं शराब विरोधी संघर्ष समिति, कैलाश नगर दुर्ग के द्वारा कैलाश नगर तितुरडीह दुर्ग में 1 दिसम्बर को रैली प्रदर्शन कर माननीय कलेक्टर जिला दुर्ग छ.ग. के नाम ज्ञापन सौपा गया। संगठन की ओर से कहा कि इस समस्या का समाधान यथाशीघ्र नहीं किया गया तो मोहल्लेवासी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। यह रैली कैलाश नगर, सिकोला भाठा मार्केट, ग्रीन चौंक, अग्रसेन चौक, इंदिरा मार्केट होते हुए जिला कलेक्टरेट पहुंचा और जोरदार प्रदर्शन किया। अपर कलेक्टर माननीय के.के. अग्रवाल ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।

ज्ञात हो कि मोहल्ले में अवैध शराब एवं गांजा बिक्री के कारण मोहल्ले का माहौल दिनोदिन बिगड़ता जा रहा है। अब मोहल्ले की छोटे बच्चे व महिलाएं भी इसका शिकार हो रहे हैं। यह अवैध शराब एवं गांजा बिक्री शासकीय स्कूल के पास हो रही है। इस नशे के कारण मोहल्ले के चार लोगों की मौत भी हो चुकी है। जब इसका विरोध करने पर महिलाओं को धमकाया जाता है। इस संबंध में मोहन नगर थाने में भी शिकायत की जा चुकी है लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे मोहल्ले वासियों में काफी रोज़ है। मांग की गई कि- कैलाश नगर दुर्ग में शराब एवं गांजे की अवैध बिक्री तत्काल बंद की जाए। शराब एवं गांजे के अवैध बिक्री करने वालों को कड़ी सजा दी जाए। महिलाओं को धमकाने वालों पर भी कार्यवाही की जाए। मोहल्ले में स्थित तितुरडीह शराब भठ्ठी को तत्काल बंद किया जाए। पूरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करो। इस रैली में मोहल्ले की लगभग महिलाएं शामिल हुई।

देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था व इसका वैज्ञानिक समाधान विषय पर सेमिनार

दुर्ग (छ.ग.) : एआईडीएसओ द्वारा साइंस कॉलेज, दुर्ग में ज्योतिराव फूले स्मृति दिवस पर ''देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था व इसका वैज्ञानिक समाधान'' विषय पर सेमिनार किया गया। संगठन के अखिल भारतीय कमेटी सदस्य मुदित भटनागर मुख्य वक्ता थे। सेमिनार को कॉलेज प्राचार्य श्री एसके राजपूत ने ज्योतिराव फूल के फोटो पर माल्यार्पण किया। छात्रों ने गीत प्रस्तुत किया।

मुख्य वक्ता ने अपने सम्बोधन में ज्योतिबा फूले व उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले के जीवन -संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नवजागरण काल व आजादी आन्दोलन के महापुरुषों ने जनवादी धर्मनिरपेक्ष व वैज्ञानिक शिक्षा की मांग की थी। इसे पूरा करने के लिए आन्दोलन चलाया लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा आम गरीबों की पहुंच से दूर होती जा रही है। लगातार फीस वृद्धि हो रही है। जनविरोधी शिक्षा नीति जैसे ग्रेडिंग प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, सीबीएससी, रुसा, निजीकरण, व्यापारीकरण व साम्प्रदायीकरण किया जा रहा है। जहां शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए चरित्र निर्माण और मानव निर्माण, वहां डिग्री व नौकरी के लिए पढ़ाई करना हो गया है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था छात्रों को आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी व कैरियर के पीछे अंधी दौड़ में भागना सिखा रही है। हमें इन महापुरुषों का सपना साकार करना होगा और जनवादी धर्मनिरपेक्ष व वैज्ञानिक शिक्षा लागू करने के लिए आवाज बुलंद करनी होगी। सरकार की जनविरोधी शिक्षा नीतियों के खिलाफ जोरदार आन्दोलन गठित करने का उन्होंने आह्वान किया। राज्य संयोजक आत्मा राम साहू व जतिन साहू ने भी सेमिनार का सम्बोधित किया। सेमिनार में करीब 80 छात्र-छात्राएं उपस्थित थी।

आजादी आन्दोलन के महान क्रान्तिकारी शहीद खुदीराम बोस की जयंती मनायी

जौनपुर (उ.प्र.) : छात्र संगठन एआईडीएसओ और किशोरों के संगठन काम्सोमोल द्वारा 3 दिसम्बर को आजादी आन्दोलन के महान क्रान्तिकारी शहीद खुदीराम बोस की जयंती पर बैज धारण, शहीद ख्खुदीराम बोस की तस्वीर पर मालयार्पण, विचार गोष्ठी आदि विभिन्न कार्यक्रम लिये गये।

6 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly

सर्वहारा दृष्टिकोण

7 जनवरी, 2017

(पृष्ठ 4 का शेष)

अमानवीय तीन तलाक प्रथा

जीवन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर किये जाने वाले व्यापक जन आन्दोलन से जोड़नी होगी महिला-विरोधी प्रथाओं के खात्मे की मांग

तीन तलाकशुदा औरतों की मायूसी, दयनीयता, दुराचार और सामाजिक दुरुपयोग के बावजूद 'धर्मनिपेरक्ष' भारत में एक 'पवित्र धार्मिक प्रथा' के रूप में इस प्रथा का जारी रहना हृदयविदारक है जहां ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे रूढ़िवादी संगठन इसके पैरोकार हैं। लेकिन यदि कानून वास्तव में ही 'दैवी' होता और इसीलिए 'अपरिवर्तनीय' होता तो क्यों सिर्फ सुन्नी मुसलमानों तक ही महदूद होता और शिया मुस्लिमों पर लागू नहीं होता? दोनों ही इस्लाम को मानते हैं। कैसे बहुत से इस्लामिक देशों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से संहिताबद्ध और संशोधित किया? कैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान जैसे 20 से भी अधिक देशों में तीन तलाक प्रथा प्रतिबन्धित है। क्यों मिस्र में अपनी पत्नी को तलाक देने वाले शौहर को कानून आदेश देता है कि जहां वह रहता है उस तमाम फर्नीचर सहित उस फ्लेट या घर की चाबियां अपनी अलग होने वाली बीवी को सौंप दे? पता चला कि इससे वहां तलाक की दरों में गिरावट आई है। लगभग इसी तरह की भाषा में सीरिया, मिस्र, तुर्की, मोरक्को, ईरान, अजरबेजान, ट्युनिशिया या पाकिस्तान तक में यह तीन तलाक प्रथा या तो निषिद्ध कर दी गई है या बहुत हद तक सीमित कर दी गई है। पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस लागू होने के बाद तलाक देने पर गुजारा भत्ते का भुगतान अनिवार्य है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे कुछ देशों में जीवन के तमाम पहलुओं पर शरीयत लागू है। भारत, श्रीलंका और मलेशिया में यह सिर्फ पर्सनल कानूनों पर लागू है। तुर्की जैसे कुछ अन्य देशों में शरीयत बिलकुल भी न्याय व्यवस्था का हिस्सा नही है। तुर्की और साइप्रस ने धर्मनिरपेक्ष फैमिली कानूनों को ग्रहण किया है। ईरान में इसके शिया कानून के तहत तीन तलाक की कोई वैधता नहीं है।

दूसरे, शरीयत में तीन तलाक के बारे में भिन्न-भिन्न मत हैं। उदाहरण के लिए नशे की हालत में कोई पति यदि तीन तलाक बोलता है तो हनाफी मजहब के मुताबिक यह वैध है। लेकिन शफाई मजहब इसका अनुमोदन नहीं करता है। इस्लामिक हिस्ट्री के बहुत से विद्वानों ने भी दिखाया है कि शरीयत पवित्र कुरान की आयतों का प्रतिरूप नहीं है बल्कि विभिन्न हनीफों द्वारा प्रदान की गई व्याख्या है। तथ्य यह हैं कि अरब की धरती से परे अनुयायियों के सामाजिक जीवन में हजारों समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। इन समस्याओं का इस्लामिक उसूलों-सिद्धान्तों के मुताबिक समाधान करने के लिए लोग प्रसिद्ध व्यक्तियों से सलाह लेते थे जो पवित्र ग्रंथ की अपनी गहरी समझ, धार्मिक विचारों और नैतिक चरित्र के लिए जाने जाते थे। इन तमाम महानुभावों को उभरती हुई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्होंने धार्मिक विचारों और निर्देशों की अपनी खुद की समझ के आधार पर फैसले दिये हैं। लेकिन इनकी व्याख्याओं में फिर से तफर्का पैदा हो गया क्योंकि वे सभी व्याख्याएं व्यक्ति-निष्ठ थी। हालांकि मुस्लिमों का सुन्नी समुदाय चार इमामों की व्याख्याओं का अनुसरण करता है जिन्हें शरीयत में मजहबों के रूप में संकलित किया गया है। इन चार इमामों के विचार भी विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग हैं। मुस्लिम समुदाय के अन्दर सम्प्रदाय हैं जैसे कि अहले हदीस जो तत्काल एकतरफा तलाक की वैधता को मान्यता नहीं देता है। इस्लामिक इतिहास पर एक टीकाकार ने दिखाया कि "एकतरफा तीन तलाक जिस पर मुस्लिमों को यकीन दिलाया गया कि यह अल्लाह के इलहाम पर आधारित है, यह और कुछ नहीं बल्कि एक राजा ओमायाद के आदेश पर आश्रित एक मुस्लिम मौलवी द्वारा बच निकलने का एक कानूनी रास्ता निकाला गया था। यह मुस्लिम युग की दूसरी सदी के दौरान हजरत मोहम्मद के गुजर जाने के बहुत बाद में हुआ।" (हनीफ मुराद के 4 नवम्बर 2016 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में छपे एक लेख से) उन्होंने आगे जोड़ा है कि "इस्लाम के अनुसार शादी संस्कार नहीं हैं बल्कि एक सिविल कांट्रेक्ट है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था "मुस्लिमों के बीच शादी एक संस्कार नहीं है बल्कि सिविल कांट्रेक्ट के रूप में है। इस तरह का कांट्रेक्ट निस्संदेह आध्यात्मिक और नैतिक इंगित और प्रच्छन्न भाव रखेगा लेकिन कानूनी तौर पर सारत: यह दो पक्षों के बीच एक कांट्रेक्ट हो जाता है।" (वही) अन्य टीकाकार लिखता है कि "एक समय दो व्यक्तियों ने जितनी जल्दी हो अपनी शादी खत्म करनी चाही और उन्होंने तलाक शब्द तीन बार बोला। पैगम्बर क्रोधित हो गये। यह एक विश्वसनीय परम्परा है और हदीस की छ: किताबों में दर्ज है। उनके शब्द थे, "मैं अभी भी जिन्दा हूँ, आप लोग कुरान के कानूनों का इस तरह मजाक बना रहे हो?" उन्होंने तीन तलाक को निरस्त कर दिया। उन्होंने इसे एकल तलाक माना। शादी कायम रही है.. .। सच्चे इस्लामिक कानून में तीन तलाक की कोई मान्यता नहीं है, इसका कुरानीय कानून में कोई अस्तित्व नहीं है। तीन तलाक शब्द कुरान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह सब मनगढ़ंत है। यह *बिद्दात* है। यहां तक कि मौलवी भी सहमत हैं कि इसे इजाद किया गया है। यह हराम है। वे कहते हैं यह धर्मशास्त्र में बुरा है लेकिन कानून में ठीक है। यह हास्यास्पद है।" (प्रोफेसर ताहिर महमूद भूतपूर्व एनसीएम चीफ, *'फ्रंटलाइन'* दिनांक 11 नवम्बर 2016)। ये तमाम संदर्भ इस दावे का ही खण्डन करते हैं कि तीन तलाक 'दैवी' कानून है और इसीलिए बदला नहीं जा सकता।

धर्म से अलग हैं संहिताएं, रिवाज और प्रथाएं

इस सम्बन्ध में कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा प्रदान की गई अमूल्य शिक्षाओं व मार्गदर्शन को दोहराना नितांत प्रासंगिक है कि ऐसे मुद्दों और संबन्धित विवादों पर कैसे गौर करें जो उठ खड़े हो सकते हैं या उठाये जाते हैं, खासकर हमारे देश में जो समाज के जनतांत्रीकरण का काम अधूरा रह जाने की वजह से जाति-धर्म-भाषा के आधार पर बंटा हुआ है। उन्होंने कहा था, "जनवादी आन्दोलन के कार्यक्रम में सामाजिक और सांस्कृतिक क्रान्ति के अधूरे कार्यक्रमों को शामिल करना होगा। जब तक ये अधूरे कार्यक्रम पूरे नहीं हो जाते जनता सामाजिक, धार्मिक पूर्वग्रहों, कुसंस्कारों, कुरीतियों और संस्थाओं की जकड़ से मुक्त नहीं हो जाती, सांस्कृतिक-सामाजिक रूप से जनता को विभक्त करने वाली दीवारों को ढहा नहीं दिया जाता तथा जनता को न केवल राजनैतिक बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक तौर पर भी एक सजातीय अखण्ड समुदाय में रूपान्तरित नहीं कर दिया जाता, तब तक साम्प्रदायिकता से छुटकारा पाना मुमकिन नहीं।

मैं पुन: दृढ़तापूर्वक कह दूँ, यह आन्दोलन स्वयं धर्म के खिलाफ जेहाद नहीं है बल्कि यह आस्तिक और नास्तिक दोनों की समानता पर आधारित है। ...धर्म और धार्मिक रीति-रिवाज दो भिन्न चीजें हैं। रीति-रिवाज तो बदलते रहे हैं और आगे भी बदले हुए सामाजिक परिवेश के अनुरूप बदलते रहेंगे। अत: जो मौजूदा धार्मिक रीति-रिवाज में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उस पर धर्म के प्रति निष्ठुर रवैया अपनाने या उसे त्यागने का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। क्या कमाल अतातुर्क ने आजीवन एक सच्चा मुसलमान बने रहते हुए भी इस्लामिक रीति-रिवाजों के खिलाफ तुर्की के जनवादी विकास के पथ को प्रशस्त करने हेतु संघर्ष नहीं किया था? क्या नासिर मुसलमान नहीं थे? उन्होंने भी तो अपने मुल्क में इस्लाम के अनेकों रीति-रिवाजों को चुकता करने के लिए जेहाद छेड़ा था। क्या कोई मुसलमान जिन्ना साहब द्वारा इस्लाम के प्रचलित रीति-रिवाज को न मानने के कारण उन्हें 'काफिर' करार देगा। क्या हिन्दुओं ने बहुतेरे पुराने रीति-रिवाजों को छोड़ नहीं दिया है? निश्चय ही, जनवादी आन्दोलन वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं से असंगति रखने वाले रीति-रिवाजों के खिलाफ तो अथक संघर्ष चलाएगा ही, यह स्वयं धर्म के खिलाफ कतई नहीं है।" (शिवदास घोष 'साम्प्रदायिकता के प्रसंग में', पृष्ठ 13-14)

महिलाओं की वांछित मुक्ति है असल सवाल

इसलिए तीन तलाक या किसी भी धर्म के ऐसे किसी अन्य दस्तूर को खत्म करने के मुद्दे पर हमारे विचार या स्टैंड को निर्धारित करते समय किस चीज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए : एक समय धर्म के आधार पर की गई प्रस्थापनाओं की शाश्वतता के सवाल पर तर्कहीन अपरिवर्तनियता और घोर हिन्दू साम्प्रदायिक आर.एस.एस.-बीजेपी द्वारा भड़काई गई अति प्रेरित उत्तेजना को या दासता-गुलामी की प्राचीन बेड़ियों से महिलाओं की वांछित मुक्ति को? कौन-सा सच्चे मानवीय नजरिए की अभिपुष्टि करता है? कौन सा सामाजिक प्रगति का द्वार धक्के से खोल देगा?

प्रत्येक सही सोच रखने वाला व्यक्ति जो तीन तलाक के आधार पर उनके पतियों द्वारा छोड़ दी गई महिलाओं की बदहाली और कंगाली से व्यथित है निश्चित ही तमाम महिलाओं की मुक्ति के सवाल को ही प्राथमिकता देगा। लेकिन यह वांछित मुक्ति हासिल कैसे होगी? सर्वप्रथम मुस्लिम लोगों द्वारा उत्पीड़ित जनता के अन्य तबकों के साथ मिलकर सुधार की आवाज बुलन्द की जानी चाहिए। वांछित उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकेगा या मुस्लिम समुदाय की बीच सुधार की स्वीकार्यता नहीं हो सकेगी यदि मांग गैर-मुस्लिम जनता द्वारा उठाई जाती है या कानून लाने के रूप में सरकार हस्तपेक्ष करती है, बल्कि उसका नतीजा उल्टे हो सकता है कि और भी रूढ़िवाद की तरफ अवांछित झुकाव को मदद दे दे या साम्प्रदायिक खाई को और चौड़ा कर दे जैसा कि अभी हो रही है। यह स्मरण रहना चाहिए कि सतीदाह की बर्बर प्रथा को प्रतिबंधित करने के राममोहन राय के ऐतिहासिक प्रयास या विधवा विवाह चालू करने के विद्यासागर के अथक प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकते थे यदि गैर-हिन्दू जनता द्वारा मांग उठाई जाती और उस मांग के आधार पर सरकार इसे कानून बनाकर प्रतिबन्धित करती। राममोहन और विद्यासागर दोनों केवल इसीलिए सफल हो सके क्योंकि वे हिन्दू जनता के बीच से मांग उठा सके थे और इस प्रक्रिया में हिन्दू जनता के व्यापक तबके से हिन्दू पण्डे-पुरोहितों को अलग-थलग कर एक कोने में धकेल सके थे। इसलिए, महिलाओं की वांछित मुक्ति केवल तभी हो सकती है जब मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों दोनों में सही चेतना जागृत हो जाए और वे समझ लें कि बेरहम पूँजीवादी शोषण की चक्की में पिस रही उत्पीड़ित मेहनतकश जनता के सभी अन्य तबकों की मुक्ति के साथ उनकी मुक्ति भी अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इस बात पर जोर देना निहायत जरूरी है कि तीन तलाक पर रोक लगाने की मांग की तरह ही हिन्दू समुदाय में 'ऑनर किलिंग' या भ्रूण हत्या जैसी घृणित कवायदों को बन्द करने की मांग उठाई जा रही है। दोनों ही महिला-विरोधी प्रतिगामी और बर्बरतापूर्ण भी हैं। इसलिए तीन तलाक जैसी प्रतिगामी सामाजिक रिवायत को खत्म करने या सुधारने की मांग जायज तरीके से मुस्लिम जनता के अन्दर से ही उठानी चाहिए। इस मांग को एक सशक्त आन्दोलन के रूप में इस तरह से सुस्पष्ट और ठोस तथा त्रुटिहीन तर्क पर आधारित करना चाहिए कि इस आन्दोलन को गलत दिशा में भटकाने या ऐसे एक जायज आन्दोलन पर गैर-मुस्लिम ताकतों द्वारा प्रायोजित होने का ठप्पा लगा कर भ्रम पैदा करने का कोई मौका रूढ़िवादी ताकतों को न मिल सके। ऐसे न्यायसंगत सुधार आन्दोलन या बर्बर रिवाजों, दस्तूरों और रिवायतों को छोड़ने के लिए मुस्लिम महिलाओं के आन्दोलन में और भी तेजी आ पायेगी जब जीवन की ज्वलंत समस्याओं के आधार पर जाति, पंथ, धर्म या वंशमूलता से निरपेक्ष मेहनतकश जनता के सभी तबकों को शामिल कराते हुए कृत्रिम तौर से पैदा किये गये तमाम विभाजनों से ऊपर उठकर उच्च सर्वहारा नैतिकता और संस्कृति के आधार पर सही क्रान्तिकारी नेतृत्व के तहत एक सशक्त संयुक्त संगठित दीर्घस्थायी जनवादी जन आन्दोलन आगे बढ़ता है। ऐसे एक आन्दोलन के वातावरण में जिसमें प्रत्येक उत्पीड़ित व्यक्ति चाहे पुरुष हों या महिलायें, चाहे हिन्दू हों या मुस्लिम या सिख या ईसाई हों, चाहे गुजरात के हों या केरल के रहने वाले हों, उर्दू बोलने वाले हों या तमिल बोलने वाले, सभी साझे उद्देश्य के लिए सचेत संघर्ष में शामिल होंगे तभी तमाम तरह की आपसी बदगुमानी, अलगाव, संदेह के साथ-साथ निहित स्वार्थों द्वारा जानबूझकर घुसाई जा रही और बरकरार रखी जा रही अंधता, रूढ़िवादिता, हठधार्मिता का सफाया किया जा सकेगा। जब प्रतिक्रिया की ताकतों के षड़यंत्र के फलस्वरूप साम्प्रदायिक तनाव और टकराव से वातावरण आवेशित हो गया हो तब जनवादी ताकतों द्वारा ऊपर वर्णित व्यापक जनवादी जन आन्दोलन में सहायता के तौर पर साम्प्रदायिकता-विरोधी आन्दोलन तेज किया जाना चाहिए कि अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष को जब तक मांगों की न्यायसंगतता के आधार पर अन्य समुदायों से सम्बन्धित मेहनतकश जनता का उचित समर्थन प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक उसे सफलता नहीं मिल सकती है। हम मुस्लिम और हिन्दू दोनों समुदायों से सम्बन्धित तमाम सचेत लोगों का आह्वान करते हैं कि इन तमाम अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और सुनिश्चित करें कि उत्पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की न्यायसंगत मांग को शैतान रूढ़िवादियों और प्रतिक्रियावादी अन्य ताकतों द्वारा भटका न दिया जाये।

कॉमरेड शिवशंकर की श्रद्धांजलि सभा आयोजित

पटना (बिहार) : एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बिहार राज्य कमिटी के सचिव तथा केन्द्रीय स्टाफ सदस्य कॉ. शिवशंकर की याद में 30 नवम्बर को आईएमए हॉल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गयी। विदित हो कि कॉ. शिव शंकर का देहांत कल 16 नवम्बर 2016 को शाम 6:30 बजे मुजफ्फरपुर पार्टी कार्यालय में हुआ। कॉ. शिवशंकर पिछले एक साल से कैंसर से पीड़ित थे। वे 74 साल के थे।

कॉ. शिवशंकर की तस्वीर पर एसयूसीआई (सी) पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. रंजीत धर, उत्तर प्रदेश राज्य कमिटी के सचिवमंडल सदस्य कॉ. स्वपन चटर्जी, झारखंड राज्य सचिव कॉ. रोबिन समाजपति, झारखंड राज्य कमिटी सदस्य कॉ. आर. एस. शर्मा, कॉ. बिमल दास, कॉ. एस. एल. मंडल, कॉ. सुमित राय, झारखंड के सरायकेला-खरसांवा जिला कमिटी की ओर से कॉ. लिली दास, झारखंड एआईडीवाईओ की ओर से कॉ. प्रशांत, झारखंड एआईडीएसओ की ओर से पतितपावन कुइला तथा प्रशांत कुमार ने मार्ल्यापण किया। एसयूसीआई (सी) बिहार राज्य कमिटी के सचिवमंडल सदस्य तथा सभा के अध्यक्ष कॉ. अरूण कुमार सिंह, राज्य कमिटी सदस्य कॉ. मणिकांत पाठक, कॉ. रामाधीन सिंह, कॉ. योगेन्द्र राम, कॉ. ललित कुमार घोष, कॉ. साधना मिश्रा, कॉ. लालबाबू महतो, कॉ. अर्जुन कुमार, कॉ. सूर्यकर जितेन्द्र, कॉ. राजकुमार चौधरी, एआईडीएसओ अखिल भारतीय कमिटी की ओर से कॉ. गोपाल साहू, एआईडीएसओ बिहार की ओर से कॉ. रोशन कुमार रवि, एआईयूटीयूसी अखिल भारतीय कमिटी की ओर से कॉ. बिमल जाना, एआईयूटीयूटी बिहार की ओर से कॉ. प्रमोद कुमार, एआईकेकेएमएस की ओर से कॉ. अशोक कुमार सिंह, एआईडीवाईओ की ओर से कॉ. उमाशंकर वर्मा, एआईएमएसएस की ओर से कॉ. अनामिका, एआईडीवाईओ के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉ. दीपक कुमार, मेडिकल सर्विस सेंटर की अखिल भारतीय कमिटी की ओर से डा. विश्वनाथ पारिया, मेडिकल सर्विस सेंटर बिहार इकाई की ओर से राजीव कुमार शर्मा ने भी कॉ. शिवशंकर की तस्वीर पर मार्ल्यापण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

बिरादराना पार्टियों की ओर से सीपीआई (एम) के सर्वोदय शर्मा, सीपीआई (एम-एल) लिबरेशन के राजा राम व विशुन मोहन कुमार, सीपीआई (एम-एल) के नंद किशोर सिंह, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक (क्रांतिकारी) के बालगोविन्द सिंह, ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक के टी. एन. आजाद तथा सीसीआई के पार्थ व सतीश, प्रख्यात चिकित्सक डॉ. पी.एन.पी. पाल, शिक्षक राम नरेश झा, पुष्पराज आदि ने भी दिवंगत नेता कॉ. शिवशंकर की तस्वीर पर मार्ल्यापण कर अपनी श्रद्धा अर्पित की। इसके बाद कॉ. शिवशंकर की याद में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि सभा की शुरूआत हुई।

कॉ. शिवशंकर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देते हुए एसयूसीआई (सी) पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. रंजीत धर ने कहा कि कॉ. शिवशंकर ने सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास के चिंतन के आलोक में मार्क्सवाद-लेनिनवाद को सिर्फ राजनैतिक-आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन के सभी पहलुओं में प्रयोग किया और इसके लिए उन्होंने अपने निजी और सावर्जनिक स्तर पर आजीवन समझौताहीन संघर्ष किया। क्रांति और पार्टी ही उनका जीवन था। इसके बाहर उनका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं था। आज जबकि देश में पूंजीवादी शोषण भयावह रूप ले रहा है, जात-पांत व धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश चल रही है, फासीवाद की आहट सुनाई दे रही है, मजदूर-किसानों को उनके हर-एक अधिकारों से महरूम करने की साजिश जारी है। ऐसे समय में कॉ. शिवशंकर का इस तरह चले जाना पूरी पार्टी और शोषित-पीड़ित जनता के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कॉ. शिवशंकर आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से गरीब उत्पीड़ित जनता के आंदोलनों की हुई अपूरणीय क्षति तथा पार्टी के अंदर कम्युनिस्ट चरित्र हासिल करने वाले ऐसे जीवंत चरित्र की गैर मौजूदगी में हमें कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा निदेर्शित उस प्रक्रिया और संघर्ष में खुद को शामिल होने

पटना : कॉमरेड शिवशंकर की श्रद्धांजलि सभा को सम्बोधित करते हुए एसयूसीआई(सी) के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. रंजीत धर

का संकल्प लेना है, जिस संघर्ष और प्रक्रिया से कॉमरेड शिवशंकर आजीवन क्रांतिकारी बने। कॉ. शिवशंकर को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कॉ. धर ने कहा कि कॉ. शिवशंकर छात्र जीवन में वामपंथी छात्र संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे और 1965 में कांग्रेसी हुकूमत की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलनों में नेतृत्वकारी भूमिका अदा की। 1969 के अगस्त में पटना में आयोजित एक शिक्षण शिविर में इस युग के महान मार्क्सवादी चिंतक, दार्शनिक तथा एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव कॉ. शिवदास घोष के देश की तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों के विश्लेषण ने कॉ. शिवशंकर को गहरे रूप से प्रभावित किया। इसके बाद वे पार्टी के होल टाइमर और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में घर-परिवार सब कुछ छोड़कर कार्यालय में आकर रहने लगे। गरीब किसान-मजदूरों के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कॉ. शिवशंकर के संघर्षों को याद करते हुए पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. रंजीत धर ने कहा कि गरीबों, कमजोरों व खेतिहर मजदूरों पर जुल्म करने वाले सामंती अवशेषों के विरुद्ध संघर्ष में उन पर दो दर्जन से अधिक झूठे मुकदमे दायर किये गये। इस दौरान वे अनेक बार जेल भी गये। उन्हें कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा भी सुनायी गयी। बाद में वे हाई कोर्ट से बरी कर दिये गये। खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के सवाल पर मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में हुए आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनता के आंदोलनों में वाम-जनवादी ताकतों को एकजुट करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभा में एसयूसीआई (सी) बिहार राज्य कमिटी की ओर से एक शोक प्रस्ताव पढ़ा गया।

श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष कॉ. अरूण कुमार सिंह ने कॉ. शिवशंकर के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि 2000 में जब मुजफ्फरपुर में, खासकर पारू इलाके में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों के आतंक से गरीब किसान-मजदूर अपनी जायज मांगों को लेकर जनवादी आंदोलन विकसित करना तो दूर रहा, सरकार की किसान-मजदूर-विरोधी व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति में किसान-मजदूरों के जुलूस का नेतृत्व कर रहे कॉ. शिवशंकर पर राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों ने जानलेवा हमला किया। इसके बाद उस दहशत भरे माहौल में कॉ. शिवशंकर के नेतृत्व में गरीब किसान-मजदूरों ने संगठित होकर जुझारू आंदोलन विकसित किया और जनता के अंदर अन्याय-अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत पैदा हुई। उन्होंने कहा कि जनता के आंदोलनों में वाम-जनवादी ताकतों को एकजुट करने में भी कॉ. शिवशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने आगे कहा कि मुजफ्फरपुर के मड़वन तथा वैशाली के महुआ में निर्माणाधीन जानलेवा एसबेस्टस फैक्ट्री के खिलाफ किसान-मजदूरों के आंदोलन को कॉ. शिवशंकर के नेतृत्व में पार्टी ने संचालित किया, जिसमें जीत हासिल हुई और संघर्षशील जनता के अंदर आंदोलन के प्रति विश्वास और उत्साह पैदा हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय गीत तथा सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित से श्रद्धांजलि सभा का समापन हुआ।

कॉमरेड शिव शंकर लाल सलाम।

बेगूसराय (बिहार) : 4 दिसम्बर को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बेगूसराय जिला सांगठनिक कमिटी के तत्वावधान में सरस्वती संस्कृत उच्च विद्यालय, पोखरिया में पार्टी के दिवंगत राज्य सचिव तथा केन्द्रीय स्टाफ सदस्य कॉ. शिवशंकर की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गयी। कॉ. शिवशंकर का देहांत 16 नवम्बर 2016 को शाम 6:30 बजे मुजफ्फरपुर पार्टी कार्यालय में हुआ। 74 साल के कॉ. शिवशंकर पिछले एक साल से कैंसर से पीड़ित थे।

कॉ. शिवशंकर की तस्वीर पर मार्ल्यापण के बाद मुख्य वक्ता के तौर पर श्रद्धांजलि सभा को एसयूसीआई (सी) बिहार राज्य कमिटी के नवनिर्वाचित सचिव कॉ. अरुण कुमार सिंह ने संबोधित किया। श्रद्धांजलि सभा को राज्य कमिटी सदस्य कॉ. राजकुमार चौधरी, अधिवक्ता चन्द्रशेखर सिंह, अधिवक्ता विजय कांत झा, एआईडीवाईओ के जिला संयोजक कॉ. राम उद्गार, अंजू देवी, कमलेश्वरी सहनी, शिवकुमार महतो, रंधीर मिश्र आदि ने भी संबोधित किया।

बिरादराना दलों की ओर से भाकपा माले के चन्द्रदेव वर्मा, सीपीआई (एम) के रवीन्द्र सिंह, एआईएसएफ के शंभू देवा ने कॉ. शिवशंकर को श्रद्धांजलि देते हुए अपने विचार वक्त किये। सभा में कॉ. शिवशंकर तथा क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति व महान साम्राज्यवाद-विरोधी योद्धा फिदेल कास्त्रो की याद में एक मिनट का मौन रखा गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता एसयूसीआई (सी) बेगूसराय जिला सांगठनिक कमिटी के इंचार्ज कॉ. रामपुकार विद्यार्थी ने की तथा संचालन कॉ. धर्मेन्द्र कुमार ने किया।

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Publication : January 5, 2017

सर्वहारा दृष्टिकोण

7 जनवरी, 2017

स्मृति सभाएं आयोजित, फिदेल कास्त्रो को दी श्रद्धांजलि

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : विश्व साम्राज्यवाद–विरोधी आन्दोलन के जाने–माने नेता कॉमरेड फिदेल कास्त्रो की स्मृति सभा 4 दिसम्बर को यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट हाल, कोलकाता में हुई। इसकी अध्यक्षता एसयूसीआई(सी) के पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य कॉ. रंजीत धर ने की। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी के महासचिव कॉ. प्रभास घोष थे। एसयूसीआई(सी) के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. माणिक मुखर्जी और अन्य केन्द्रीय कमेटी सदस्य भी सभा में उपस्थित थे। दिवंगत नेता पर रचित गीत के साथ सभा की शुरूआत हुई। इसके बाद उपरोक्त तीनों नेताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर कॉ. रंजीत धर ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। शोक प्रस्ताव में कॉमरेड फिदेल कास्त्रो के संक्षिप्त जीवन–संघर्ष पर प्रकाश डाला और दिखाया कि कैसे वे पूरे लातिनी अमेरिकी और आजादी–पसंद अफ्रीकी देशों में साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्ष की प्रतिमूर्ति सदृश उभर कर आये और विश्व साम्राज्यवाद–विरोधी आन्दोलन में बड़ी भारी प्रेरणा दी। अपने जज्बाती और विचारशील भाषण में कॉमरेड प्रभास घोष ने पहले उस विश्व परिस्थिति का जिक्र किया जिसमें कास्त्रो ने साम्राज्यवादी शिकंजे से क्यूबा को आजाद कराने के लिए अपना संघर्षशील जीवन शुरू किया था। साम्राज्यवाद–विरोधी एक योद्धा के तौर पर शुरू करके कास्त्रो धीरे–धीरे मार्क्सवाद–लेनिनवाद की ओर जब आकर्षित हुए, तब सोवियत यूनियन में ख्रुश्चेववादी संशोधनवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा जमा लिया जाने की वजह से विश्व कम्युनिस्ट क्रान्ति का नाम ढलान पर था। कैरीबियन सागर में एक द्वीप, क्यूबा साम्राज्यवाद के सरगना, अमेरिका से मानो बालिश्त भर की दूरी पर था और किसी भी समाजवादी देश से उसकी सरहद नहीं मिलती थी। पेंटागन जालिमों ने दरअसल चारों तरफ से क्यूबा की घेराबंदी कर रखी थी। उन्होंने अपने पिट्ठू बातिस्ता को वहां सत्ता में बैठा रखा था। फिर भी कास्त्रो ने सराहनीय क्रान्तिकारी दमखम दिखलाते हुए क्रान्ति के द्वारा इस कठपुतली सरकार को उखाड़ फेंका और अमेरिकी साम्राज्यवादियों की तमाम धमकियों–डांट–डपटों और संधि–शर्तों की राजनीति तथा संशोधनवादी सोवियत नेतृत्व की शान्तिवादिता पर पार पाते हुए क्यूबा में समाजवाद न केवल कायम किया बल्कि उसकी रक्षा भी की। हालांकि कास्त्रो क्यूबा की सरजमीं पर मार्क्सवाद– लेनिनवाद के ठोस सचेत प्रयोग के रास्ते इस उदात्त विचारधारा के ज्ञान भण्डार को समृद्ध नहीं कर सके जो कि अपेक्षित था, फिर भी वे अपने क्रान्तिकारी सहज ज्ञान से सोवियत यूनियन और पूर्वी यूरोप के देशों के नेतृत्व में स्टालिनोत्तर काल में कुछ भटकाव देख सके थे जिन्होंने समाजवाद को खतरे में डाल दिया था। वे न तो कॉमरेड शिवदास घोष चिंतन से और न ही, जहां तक ज्ञात है, कॉमरेड माओ त्से–तुंग के चिंतन व शिक्षाओं से परिचित थे। संशोधनवादी ख्रुश्चेव नेतृत्व के प्रभावाधीन उन्हें स्टालिन के बारे में भी कुछ शक–शुबहा था। फिर भी, वे समाजवाद के रास्ते पर अडिग थे और दृढ़ता से चलने वाले राही थे। समाजवादी खेमे के ढह जाने के बाद, हालांकि वे दुखी थे, फिर भी प्रतिकूलता के द्वारा दुबकाये नहीं जा सके थे। ''या तो समाजवाद, या मौत'' – यह था उनका संकल्प और एक ध्रुवीय दुनिया में उन्होंने समाजवाद की अपूर्व ढंग से रक्षा की थी। इस महान दिवंगत नेता के बारे में कॉमरेड प्रभास घोष के ज्ञानादीप्त संबोधन के बाद कॉमरेड कास्त्रो पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। अन्तर्राष्ट्रीय गान के बाद सभा का समापन हुआ।

गुना (म.प्र.) : क्यूबा की समाजवादी क्रान्ति के जनक महान क्रान्तिकारी फिदेल कास्त्रो की याद में ऑल इण्डिया साम्राज्यवाद–विरोधी मंच गुना द्वारा 5 दिसम्बर को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी) के राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल रहे। इसके अलावा, शहर के तमाम बुद्धिजीवी प्रो. श्याममोहन मिश्रा, प्रो. दहीभाते, प्रो. पवित्र सलालपुरिया, वरिष्ठ पत्रकार अतुल लुम्बा, राकेश मिश्रा, प्रदीप आर बी, मुरारी शर्मा, आदि उपस्थित हुए।

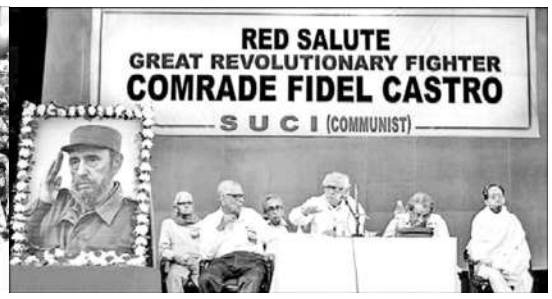

कोलकाता : कॉ. फिदेल कास्त्रो स्मृति सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. प्रभास घोष

कार्यक्रम का संचालन मंच के संयोजक गिरधर शर्मा ने किया।

सागर (म.प्र.) : एसयूसीआई (सी) सागर जिला इकाई के द्वारा 1 दिसम्बर को तिली लोकल कार्यालय सागर में क्यूबा की क्रान्ति के नायक महान क्रान्तिकारी फिदेल कास्त्रो की स्मृति में सभा की गई। सभा के मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव कॉ. रामवतार शर्मा थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यवादी देश अमेरिका के सामने कभी न झुकने वाले क्रान्तिकारी नेता फिदेल कास्त्रो क्यूबा में क्रान्ति के जनक थे। उन्होंने अमेरिका समर्थित साम्राज्यवादी तानाशाह फटगेकियों बातिस्ता के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को सफल कर 1959 में क्यूबा में क्रान्ति की थी। अमेरिका की घृणित

सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी(सीआईए) ने उनकी हत्या करने के लिए लगभग 634 बार कोशिश की थी। लेकिन वे फिदेल कास्त्रो के प्राण नहीं ले सके थे। अमेरिकी साम्राज्यवाद की नाक के नीचे यह छोटा सा समाजवादी देश क्यूबा आज न केवल संघर्ष व निर्माण की मिसाल बनकर खड़ा है बल्कि उपलब्धियों के नये–नये कीर्तिमान कायम कर रहा है। इस प्रकार के निर्माण में व्यापक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए क्यूबा ने सच्चे समाजवादी लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है। फिदेल कास्त्रो ने कहा था कि जब तक सामाजिक असमानता व अन्याय समाज में बरकरार रहेगा तब तक क्रान्ति की लहर की चिंगारी जलती रहेगी। इसी सीख के आधार पर हम सभी को उनके संघर्ष को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए इस भारतीय परिवेश में समाजवादी क्रान्ति के लिए संघर्ष की आवश्यकता है।

सभा का संचालन कॉ. अशोक कुशवाहा ने किया तथा सभा में संजय तिवारी, राकेश पटेल, सोना कुशवाहा सहित कई छात्र–नौजवान उपस्थित थे।

रोहतक : 7 दिसम्बर को कॉ. फिदेल कास्त्रो स्मृति सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. सत्यवान

दिल्ली: 26 नवम्बर को दिल्ली स्थित क्यूबाई दूतावास में दिवंगत नेता फिदेल कास्त्रो को श्रद्धांजलि देने और रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद एसयूसीआई(सी) के दिल्ली राज्य सचिव कॉ. प्राण शर्मा और दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्य कॉ. केसी तिवारी क्यूबा के राजदूत के साथ (बीच में)

और भी घट गया औद्योगिक उत्पादन

अक्तूबर 2016 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 1.9 फीसद गिर गया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में यह गिरावट पिछली तिमाही में सबसे तेज गति से आई थी। अक्तूबर के नतीजे मुख्यत: मेन्यूफेक्चरिंग आउटपुट में गिरावट से निकाले गये थे, जो सितम्बर में 0.9 फीसद विस्तार की तुलना में 2.4 फीसद सालाना गिरा। खनन में यह गिरावट 2. 4 फीसद तक धीमी हुई (सितम्बर : माइनस 3.2 फीसद साल–दर–साल)। इस्तेमाल आधारित वर्गीकरण के अनुसार, केपिटल गुड्स का उत्पादन उल्लेखनीय तौर पर गिरा है। उपभोक्ता सामानों के उत्पादन में भी गिरावट आई है। नीचे की ओर गिरता दिखाने का यह रुझान जारी है। औद्योगिक उत्पादन में सालाना औसत उतार–चढ़ाव सितम्बर में 0.5 फीसद से अक्तूबर में माइनस 0.5 फीसद, बहुवर्षीय निम्न की ओर झुक रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में यह गिरावट दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी में है। (सूत्र : इकोनोमिक टाइम्स 11-12-16 व फोकस इकोनोमिक्स 12-12-16)

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com

फोन नं. : 011-25726631, 9868350503